कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांकः 692

दिनांकः 12/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक, बारां।

> विषय :-- जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में। Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6954/2014 प्रसंग :-- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ. 14()2018/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं./1490-91 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Repaly of EDS
A. Con	ppliance of EDS Dated 29.07.2024 :-	
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नही है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 1568 दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्रस्तुत की गई
2	प्रस्ताव में दिनांक 23.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य किया गया है। अतः Violation नहीं किया गया है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पनः संलग्न है।
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नही है।	X
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नही है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया ज रहा है।

 $\sum_{n} \sqrt{2}$

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

र्यिलय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

दिनांक :

2024

10/9

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

677 कमांक :

श्रीमान् उप वन संरक्षक. वारां।

> विषय :- जनदप बांरन में आर०आर०एस०एम०पी० योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु। प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को विन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या १	होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 296 है0 गैर वनभूमि विमाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमावन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82.284 / - (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) केम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	र्ष संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2. 96 है0 X 164100 / – रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736 / – रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पन्न क्रमांक एफ.() / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022–23 / 520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344 / – की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 100344 / – की मांग की गई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनमूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एक नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्य 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0 । लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडत अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	

/		माननीय उच्यतम
संख्या व ं 4 3 5 मे	ग्योक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय हे रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. बी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शत संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन वैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/– एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन वैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीम स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय प किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊूं आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येव पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशाव Backword and Forword bearing एवं अप	। शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंच र आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक वे सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न ह है।
शर्त संख्या 6	निकटवर्ती पीलरों से दूरी देशीयों जोएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इ कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है. सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनु तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सें जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/20 बांबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिन 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन वि की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Med	टूल वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया 515 जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तांक स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है। में
शर्त	पर (यदि उपलब्ध है तों) वृक्षारोपण किया जाएगा। पर्यावत्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान	तथा शर्त सख्या ८ के तहत प्रयोक्ता अभिकरण ¹⁰ तथा राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना ¹⁰

a

	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहावाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 5 4

दिनांक : 18/1/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक, बारां।

> विषय :- जनदप बांरन में आर०आर०एस०एम०पी० योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :--

संख्या होगा। सिथति में कोई परिवर्तन नही किया ज सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्र एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वन्भूमि नाम आयंटित करा दी गई। जमाबन्दी एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है। शर्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विमाग के पक्ष में प्रमावित शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभ संख्या वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभ मं प्रमावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3.82.284/- (2.96 है0 X Rs. 1.29.150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। शर्व संक्ष्रा 485736/- रू. क्रेम्पा नई दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा बंक में ऑन लाईन जमा करा दी ग संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक ब क्रमांक (एफ.0)/एफ.सी. /2022-23/520 दिनांक 22.01.2 अवशेष राशि रू. 100344/- की मा थी। उक्त राशि रू. 100344/- की मा थी। उक्त राशि रू. 100344/- की मा थी। उक्त राशि रू. 100344/- की मा थी। यतल राशि रू. 100344/- की मा थी। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर ए 2.96 है0 गैर वनमूमि विमाग के ना करा दी गई। जमाबन्दी की न नामान्तरण की प्रति संलग्न है। सतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) संख्या शर्त संख्या क्षिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल.	क्र.सं.		
शर्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विमाग के पक्ष में प्रमावित शर्त संख्या 2 की पालना में वन विम संख्या वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर में प्रमावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर 2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु अर्थात 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोप 2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु अर्थात 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोप 3 आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284/- (2.96 है0 X स राशि 485736/- रू. केम्पा नई Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। जाएगी। कै से राशि 485736/- रू. केम्पा नई तलर न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक ब क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ग /2022-23/520 दिनांक 22.01.24 अवशेष राशि रू. 100344/- की मा भी। उक्त राशि रू. 100344/- की मा थी। उक्त राशि रू. 100344/- की मा भी। उक्त राशि रू. 100344/- की मा शति संलग्न है। प्रकरण यूजर एप 2.96 है0 गैर वनभूमि विमाग के ना शर्त की ते संलग्न है। प्रकरण यूजर एप 2.96 है0 गैर वनभूमि विमाग के ना नामान्तरण की प्रति संलग्न है। शर्त किया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल कीतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0)	संख्या		स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 हैं0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल
शर्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षे संख्या लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।	संख्या	वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284 /- (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2. 96 है0 X 164100/- रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/- रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/- की मांग की गई धी। उक्त राशि रू. 100344/- की मांग की गई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं
	संख्या		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 1405868/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/– एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊूंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. लिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।
शर्त संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा	शर्त सख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर

दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित	संलग्न कर दी गई है।
करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :-- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(हरि प्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 100344/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।

Channyh

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां ईमेल :-- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना

में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

minz

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. '2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/– एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

Cy hin

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां ईमेल :-- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 कीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा । प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।

Crah im Mi

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां ईमेल :-- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

20

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां ईमेल :-- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

ann

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Land to be allotted to Forest Department

21214	den 19	
-	ISL	1

14

			S. No.	Name Divisi		me Of Tel	sil	Name of	Name of Roi				As on	- 1
になっていたの	A State of the	The second	A NUMBER	2				Scheme	Name of Roi	ad	Fores	o be allotte t Departmo (hartare)	d to	11.09.201 Remark
			1000		ld Cases		+	3	4		-			
			1. 201	Chhab		ipabarod	F	MGSY	पाटरी से मटगांव			6		18
				Shahba	d s	hahbad		MGSY	मामोनी से मोहनपुर			1.50		-
*		1	E	81					योग			2.60		
20		1	100	INCI	w Cases							1.10	+	
	alman .	+	-	hhabra		habra	RL	054 / JRAL DAD	हिंगलोट से मदनाखेडी वाया ह	रिपुरा		.00	-	
5		+		hhabra	Ch	habra	5054	SHW	कोटा धरनावदा सड़क	-		.00		
		F		ahbad	Kish	anganj	RIDF	-XVIII	प्रत्य संस्थावदा सङ्क प्रल्दा से खल्दी		13	.58		
福	T.	L	Sh	ahbad	Kisha	inganj	RIDF-	YV00			0.1	51	11222110	-
E.		5	Sha	hbad	Kisha		(VC RIDF-)	VUIII	ग्दीली से लाटखेडा 🗸		- 3.2	20		
ANY N	1	6	Sha	hbad	Kishar	iganj I	(VC RIDF-X	Cheffin .	घोपुरा से जैतपुरा 🗹		4.0	0		
	-	7	Shal	nbad	Kishan	ganj ^R	(VC)	VIII	कपुरा से झिरी		7.5	0		
	+	8	Shah		Shahb	ad R	DF-X	/111	ी से रामपुर उपरेटी		4.00			
	+	9	Shahi		Shahb	ad RI	DF-XV (VC)	1144	रच-76 किमी 573/0 से पुआ	-	2.50			
	+	10	Shahb	ad	Shahba	- L	F-XVI		र से बरारा		2.60			1
	1	1	Shahb	ad	Kishanga		F-XVI	1	से जैसवा 🗸		0.55			
	1:	2	Shahba	d .	Sg D Kishanga	RID RID	F-XVII				4.00			
	13	+	Shahba	-	Shahbad	RR	SMP	the second s	याना से बमनगवा वेदारकुई से सिलोरा		5.20			-
1	15	-	Shahba		Cishangar	-	SMP	ख्यायद	ा से हरिपुरा		3.00			_
t		-			Gshangan		MP	जलवार	॥ से किशनपुरा		1.00			
1	16	1	Shahbad	1 K	ishangan	RIDE-					3.00			_
-	17	S	Shahbad	K	ishanganj		the second s	many	रग से घट्टा 🗸		0.50			-
-	18	S	hahbad		Shahbad	RRSA	_	खण्डला	से हलावनी		and the second			
-	19	_	hahbad		hahbad	RRSN		बीलखंडा	डांग से पाटन		2.00			
2	20	S	hahbad	_	hanganj	1 111/		कदारकुइ	से महाल		1.00	_		7.
2	1	St	ahbad		hanganj	RRSM	P	भवरगढ	से रनयासी		7.00			
2	2	Sh	ahbad			RRSM	P	रनवासी	से रनवासा		2.50			1
	T			- ruşi	hanganj	RRSM	2 7	गोरधनपु	रा से कालीमाटी		0.80			1
23	1	Sh	ahbad	Kish	anganj	RRSMP	8	ामगढ व	गला पट्टा सडक किमी. से करवाला लक्ष्मीपुरा	-	3.00			1
24	+-		ahbad	1000000	anganj	RRSMP	4	रवरी ख	र्व से बामनटेह		2.00			
-	-	0.000	hbad	Kisha	anganj	RRSMP	ल	कडाई र	ते मामली वाया सुर्जनपुरा	-	4.20			
26	11	Shal	hbad	Kisha	inganj	RRSMP	मा	मली लह	मीपुरा पटपडी सङक		1.00	1		i i
27	5	shah	bad	Shat	bad	RIDF-XVIII	राज	नपुर मुचि	डियर सडक (रामपुर	-	3.00			
8	-		rision	Ab		(VC)	104	रटा) स	ईसाटोरी	4	1.00			
wv	200		Luni a				कव	15		1 3	25		1	

PWD circle Baran

LA L

24 25 26

27

28 4

D-\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September_2014\Forest\Copy of forest_information_17 Coloums_Circle Baran_11.09.2014

See.

and and there


A STATE AND A STAT

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2	1 1	3			
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	6	18
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	. 1.02	4.9
31	NH Division	Chipabarod			1.21	_
32	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
33	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर नयापुरा	1.66	-
+				योग	4.92	-
-				कुल योग	98.24	-
				3.0.41	102.34	

(युनिसे माखुर) अधीवण अभियंता वार्वनिवर्षिक वृत बीत्त

Sec. Pra

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September_2014\Forest\Copy of forest_information_17 Coldums_Orcle Baran_11.09.2014



कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्भत जिला इनवटर वासं द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार ेर चनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित ग्रैर वनभूमि तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित ग्रैर वनभूमि तांशकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई तसिकमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त ग्रैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

		खरारा नं.	रकबा (हैक्टर)
क्रंस तहसील	ग्राम चिलेण्डी	39	13.20
5 31+cH	10 chuist	41	5.00
	-	43	6.52
		114	5.60
		115	9.58
	1.	116	7.70
		138	10.81
		149	3.63
	योग	योग	62.24

हरताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी 1 यगरक 122 (नारेन्ट्र मार्ग (व.२.) 2 नाका प्रमारी किश्वामीना ०८/०१/17 राजीव कपूर Cla 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी उप यन संरक्षक चारौ उपना दिल बारी के उस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी Shiting the at Amidin 42000 site Rovellin 10019 619117 1 हल्का पटवारी 2 कानूनगों 3-10-42 Janna 1.1.5 1.1.1.1. 609 (अशोक सनाढ्य) 6-9-17 अधिशापी अभियत्ता

ति हि सी द

राजीव कप्र उप वन संरक्षक खाराँ

🗤 नि.वि. खण्ड शाहाबार

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्भत जिला जनकर वासं द्वारा आदेश कमांक ७२०-२६ दिनांक ०७.०२.२०१७ से विज्ञानुसार तर जनभूमि (१०३.४० है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता वाम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वाविकी कार्थ हेतु उपयुवत है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिकमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

function for any		खसरा मं.	रकबा (हैक्टर)
क राजितील	ग्राम	and the second sec	2.25
	ताखा	368	2.25
1	केल	१ किंता	220

हरताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी 1 वनरक्षक ार्थे (गरेन्द्र शामा (ब.२.) 2 नाका प्रभारी 6221 भीडाँ। ०८, ०१/17 राजीव कप्र जप वन संरक्षका han mai 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी बारो हरताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी राजीव कपर 1 हल्का पटवारी ि क्रांग्य प्राण्य HER चप वन ? बारा L1911) 2 कानूनगों अभ्रे के (अशोक सनादय) ZIVILATAN अविशाधी अभियना 6-9-17 ाज मि जि. साह शाहायार

ECA latter 19.4.17

दि न

कार्यालय क्षेत्रीय तन अधिकारी, अन्ता

प्रभाणित किया जाता है कि विभिन्न सहक परियोजनाओं के अन्तर्भत जिला जनवटर बार्य द्वारा आदेश कमांक ७१०-१६ दिलांक ०७.०१.१०१७ से निम्नानुसार गर वनभूमि (103.40 हैं) वन विभाग के बाग आवंदित की गई है।

तहरील अन्ता गाम धोरसन की जिन्नसारणी अनुसार वर्णित जैर चनगृम चानिकी कार्य हेतु उपयुक्त दे यह वन्नभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिवन्भण एवं व्यासिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हे यह समस्त जैर वनभूमि थुंजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा गाँके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

S & 2 Sec. 81 4	1111	(स्पर्धारी न.	रकवा (हैक्टर)
न स । नडलील	सोरसन	1175	19.76
1		1173	19,15
	सोय	२ किता	38.91

हरताक्षर जमीन का चार्ज लेने नाले अधिकारी व कर्मचारी

1 जनस्वक ेन्द्रभीषात् केन्द्र वर्षा (१

2 नाका प्रमाही जिनेदराहरण जिने रागि र सर्वाय तन अधिकाश विद्या मा भवति हा स्रियंग्र

1. C. S. .

राजीव कप् तरताक्षर जमीन का चार्ज देने ताले आधिकारी व कर्मवारी जप चन

 $1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}$

 $x = \operatorname{depend}_{\mathbb{C}} \left\{ (x,y) \in \mathbb{C} \right\}$

बार

तप वन संरक्षा बारो

ा कपर

क सनाढ्य) (প্রহা अधिशाधी अभियन्ता रत.ति.वि. ठ्यण्ड शाहावाद

जग	नाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)	प्रपत्र पी-26 (मी) (देखिये नियम 153 गु)
ना नाम :- ताखा	अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 207	73 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
ार हल्का :- मानपुरा	स्थायी भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर	
िन्न.नि. :- खजूरनाकला होन :- अन्ता	खाता संख्या नया :- 105	
चा :- बारौँ	खाता संख्या पुराना :- 100	

कार का नाम:-

🛫 उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

हरा संख्या		भूमि वर्ग	किरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	Ecquit
168	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00			
= खसरे - 1	2.2500		2.2500				
प्रपत्र केवल			लिए है			*:	

चना उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है |

बन जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

IE

Zianno .

(अशोक सनाढ्य) अधिशाधी अभियना जि.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी) (देखिये नियम 153 ए)

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 617

खाता संख्या पुराना :- 1

कार का नाम:-

तेन :- अन्ता

ः- वारौ

दि न का नाम :- सोरसन

📧 हल्का :- सोरसन

िन, नि. :- सोरसन

वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

नरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा	सिँचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पर्ण
and the second			संदत्त लगान		M = M - 1 - 1 - 1 - 1	
73		गें.मु.जंगल 19.1500	0.00			
175		गैं.मु.जंगल 19.7600	0.00			
176		गै.मु.जंगल 2.0000	0.00			
177	18.6600	गै.मु.बरड़ा 18.6600	0.00			
527	26.0000	गैं.मु.जंगल 26.0000	0.00			
528	32.8500	गै.मु.जंगल 32.8500	0.00			
529	31.5000	गैं.मु.जंगल 31.5000	0.00			
530	17.6000	गैं.मु.जंगल 17.6000	0.00			
531	21.0000	गैं.मु.जंगल 21.0000	0.00			
532	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल 15.0000	0.00			
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल 12.4900	0.00			
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल 11.4500	0.00			
1548	24.3600	गें.मु.जंगल 24.3600				
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000				
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल 15.2600				
1784	6.3100	गें.मु.जंगल 6.3100	0.00			
85	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल 13.3400				
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल 6.0000	0.00			
1795	12.0000					
1796	11.1000					
1796/196	0.9000	गैं,मु.जंगल 0.9000				
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल 8.0000	0.00			
1798	12.0000) गैं.मु.जंगल 12.000	0 0.00			
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल 7.5600	0.00			
2136/15			00.0			

	502.8500		502.8500)		7 1 1 1 1	
526 176	16.0600	गै,मु,बरड़ा	16.0600	0.00			
25	21.3800 16.0600	गें.मु.जंगल गें म जंगल	21.3800	0.00			-

ात्र कवल आया का जापनारा का पर हो। उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है |

जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

ILH

अभ्याक सनाढ्य) अधिशायी अभियन्ता द्र.नि.वि. खण्ड शाहावाद

	(देखिये नियम 153 ए)	
जमाबन्दी ।	(खेवट/खतोनी)	
(प्रति	तेलिपि) तेलिपि) अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से	
2	अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2070 - 2070	
का नाम :- बिलेण्डी	<u>र अप</u> री	
	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार	
हर हल्का :- मानपुरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर	
िन.मि. :- खजूरनाकला	म्राता संख्या नया :- 78	
ज्ञांस :- अन्ता	खाता संख्या पुराना :- 78	
वारौ		

ाम:- रक्षंक बारा वग	न विभाग हेतु हिस्	सा- पूर्ण क	वंस्था के लिए	चिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण	। टिप्पणी
क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	1	हृषक द्वारा संदत्त लगान	NI NS	संख्या व दिनाक	
	के म तरहा 5.8	3000	0.00			
	ग.मु.बर्झा 95	5800	0.00			
****	ग,मु.बरझा ठ.५	7000	0.00			
7.7000	ग.मु.बरडा /. तेम वरडा 10	100				ð.
	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	6300	0.00			
3.6300	ग.मु.जख्या	3.2000	0.00			
	A	5.0000	0.00			
	गै.मु.बरडा 6	6.5200	0.00			
	क्षेत्रफल 5.8000 9.5800 7.7000 10.8100 3.6300 13.2000 5.0000	 क्षेत्रफल मूर्गम प्रयाप्तर के क्षेत्रफल मूर्गम प्रयाप्तर के कि कि	क्षेत्रफल मूमि प्रसार 5.8000 गै.मु.बरडा 5.8000 9.5800 गै.मु.बरडा 5.8000 7.7000 गै.मु.बरडा 9.5800 10.8100 गै.मु.बरडा 7.7000 10.8100 गै.मु.बरडा 10.8100 3.6300 गै.मु.बरडा 3.6300 13.2000 गै.मु.बरडा 13.2000 5.0000 गै.मु.बरडा 5.0000 6.5200 गै.मु.बरडा 6.5200	क्षेत्रफल मूमि प्रमाल संदत्त लगान 5.8000 गै.मु.बरड़ा 5.8000 0.00 9.5800 गै.मु.बरडा 9.5800 0.00 7.7000 गै.मु.बरडा 7.7000 0.00 10.8100 गै.मु.बरडा 10.8100 0.00 3.6300 गै.मु.बरडा 3.6300 0.00 13.2000 गै.मु.बरडा 13.2000 0.00 5.0000 गै.मु.बरडा 5.0000 0.00 6.5200 गै.मु.बराडा 6.5200 0.00	क्षेत्रफल मूमि वर्गीकरण कृषक द्वीरा एनगड़ 5.8000 गै.मु.बरडा 5.8000 0.00 9.5800 गै.मु.बरडा 9.5800 0.00 7.7000 गै.मु.बरडा 7.7000 0.00 10.8100 गै.मु.बरडा 10.8100 0.00 3.6300 गै.मु.बरडा 3.6300 0.00 13.2000 गै.मु.बरडा 13.2000 0.00 5.0000 गै.मु.बरडा 5.0000 0.00 6.5200 गै.मु.बरडा 6.5200 0.00	रक्षेक बारा वन विभाग हुए 16 (∞)क्षेत्रफलभूमि वर्गीकरणकृषक द्वारा संदत्त लगानसिंचाई के साधन संख्या व दिनांक 5.8000 गै.मु.बरडा 5.8000 0.00 9.5800 गै.मु.बरडा 9.5800 0.00 7.7000 गै.मु.बरडा 7.7000 0.00 10.8100 गै.मु.बरडा 10.8100 0.00 3.6300 गै.मु.बरडा 3.6300 0.00 13.2000 गै.मु.बरडा 13.2000 0.00 5.0000 गै.मु.बरडा 5.0000 0.00

रुल खमरे - 8 62.2400 यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

LILE

होग तवित 10 ते हुए ई दिल्ल वन विभ

NNA शोक सनाढ्य) अविशायी अभियत्ता देव कि वि. डाण्ड शाहावाद

NATION

s for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are many cases where non-bailable arrest warrants issued by trial courts to ensure presence of the accused legislators are not executed.

Full report on www.tol.in

Health insurance scheme for J&K


Srinagar: The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs5lakh perfamily to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said. The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

5

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IMMS



an now nations

For decades, the Sangat worldble to serve there. Modi governin to allow FCRA (licence) to the "sahib deepens the connect of the Sangat globally and the Sri A blessed moment!", he tweet-

Prime Minister Shri Narendra ed that Wahe Guru ji has taken 1. The decision on FCRA at the lir Sahib is a pathbreaking

nistry release said Sachkhand lir Sahib, Sri Darbar Sahib, oplied for registration under 27, 2020. On Thursday, the decier it as an association of "reliunder FCRA, was communi-The registration shall remain rears, after which it can be re-



10

gu

00

वित्र

s for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money of muscle power to influence interesses who turned hostile of suggested that the court dide authorities to strictly imment witness protection sures. Moreover, there are cases where non-ballable warrants issued by trial sure presence of the gislators are not exe-

Full report on www.tol.in

in now nations

For decades, the Sangat worldto serve there. Modi governthallow FCRA (licence) to the Sahib deepens the connect of Sangat globally and the Sri blessed moment!", he tweet-

Minister Shri Narendra Minister Shri Narendra Mat Wahe Guru ji has taken The decision on FCRA at the Sahib Is a pathbreaking

see said Sachkhand r Sahib, Sri Darbar Sahib, plied for registration under r 2020. On Thursday, the decir it as an association of "reliunder FCRA, was communi-The registration shall remain purs, after which it can be re-



ct of 3 months bad Municipal Corporation Health/ Medical College, Ahmedabad, for ik in interview of following posts are

to be downloaded from the link

Health insurance scheme for J&K

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

कोन्दीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriva Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aligani, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340,

2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

ऑनलाईन आवेदन संख्या - FP/RJ/Road/6954/2014

अति, प्रयान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडान अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एक 14 (Baran Road)/2014/

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत धारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सुचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 की

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सुचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपट बारां में आर.आर.एम.एम.पी. मोजना के सहन जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेन् 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वुझों के पातन की सैद्धानिवरूमीकृति निम्नलियित शर्ती

2. प्रयोकता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभाषित वन क्षेत्र के समतुष्य मेर वनभूमि अर्थात 2.96 है. पर क्षतिपुरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष

तक रखरखाव हेतु आवत्रयक धनगरिए (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/-(2.96 ई. x रुपये 1,29,150

उक्त भूमि यन विभाग के स्वाधित्व के बाहर की है । इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानरण एवं नामानरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः भाई में

आगंधितः संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तानरण एवं नामानरण करने के परचात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति

3. क्षतिपुरक वृक्षारांपण हेन् जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया

जनपद बारां में आर.आर.एम.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के

उपरांक्त विषय पर संदर्भित ऑगलाईन आयेतन का आलय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर बन

Srinagar: The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs5lakh per family to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

पत्र मं. हबी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254

प्रमुख सचिव (वन),

मित्रिल सचिवालय,

राजम्बान शामन जयपर।

वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रति हे.) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेंगी।

प्रत्यावर्तन विना वक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

एफ.सी.ए./प्रमुबसं/1956, दिनांक 06.07.2016

धेवर घी.

विषय :-

सन्दर्भ :--

महोदय,

पर प्रदान करती है

प्रदान की जाचंगी।

जायंगा।

ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. was

दिनांक : 23.08.2016

न बिना

2020

5

नत्र दिनांक ाथा

पर्यावरण मांक सं0 सैद्धान्तिक हे कम में 1 गया है वेभाग की रूप किया 11 गया है 1धान नहीं टेकिंग भी

पोर्ट शीघ

ीय

मार गुप्ता) संरक्षक रां

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उल्प्रतय न्यायालय के हिट पिटीशन (सिकिल) 202/ 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिशांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदंशानुमार शुद्ध वर्तमान मूल्प (एन.पी.बी.) की वियोरित राशि रुपये 18.52 लाख (2.96 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे.) जमा की जायेगी। इसके उपरान पावती की प्रायाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रमीत/ बिंक द्वापट/आर.टी. की एस./ एन.ई.प्फ.टी. (जो भी लागू हो) की ख्याप्रति सहित सैद्धालिक स्वीकृति की अनुपालन आग्रम। (जसमें जमा की गयी धनराशि का मदयार विवरणा अर्थात् पुन.पी.वी., इतिपुरक वुसारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदीपराल ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

5. विधियत् स्वीकृति के बाट प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा सत्मधों द्वारा सीमांकन प्रयोकता अधिकरण के व्वय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' परीट ऊंधे आर.सी.सी. पीलरों में किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।

b. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल यो तना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्त्रीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेंगी।

7. प्रयोकता अभिकरण इस आशाय का तचनवद्धात पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई आर.सी. के मानकों के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्ल जोन चेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनोंक 16.11.2015 में वियोगये आदेश की अनुपालना में प्रयोकता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर बन विभाग की निगरानी में यहक के दोनों तरफ तबा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) खुक्षारायण किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार कर्तमान तथा अविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा किर्टेशों का पालन करेंगी।

Ċ

AGE	ENCY COPY
NEFT / RTGS CHA te : 18-04-2019	LLAN for Ad-HOC CAMPA
gency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Hantien No.	6169540640
oplication No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
DEF/SG File No.	RAJASTHAN
ocation.	Office of the Executive
Address.	office of the Excent engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	2338696/-

Three	I akh Thirty-Eight Thousand
Amount in Words Twenty-Three Hundred and Ninety-Six Rupees	Only
Hundred and Ninety Out	

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
116-11	CORP0000371
FSC Code: Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

CAMPA		CORPOOUL
	IFSC Code:	150856165
1640 r this	Pay to Account No.	Valid onl challan a
unt.	Bank Name &	Corporat
Bank lex Branch, O Complex, lhi Road, New	Address:	Lodhi Co Block 11 Phase I, Delhi -11
13		
	• This Challan is s	trictly to be un APA by NEFT/

http://torestsc.com

Date : 18-04-2019

Agency Name.

Application No.

Location.

Address:

MoEF/SG File No.

Amount(in Rs)

details;

Hundred and Ninety-Six Rupees. Only

BANK COPY NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

PUBLIC WORKS

8B/RJ/06/04/2015/FC

Office of the Executive engineer PWD Division

DEPARTMENT

6169540640

RAJASTHAN

Shah Baran 2338696/-

Amount in Words Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six

NEFT/RTGS to be made as per following

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

This challan is valid only for seven days.

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
	CORP0000371
IFSC Code: Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through After making successful payment, User Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in Twycorunt done by T.V.NO. 3750 23/4/19

ाकारी शाहाबाद (जिला-चारों)

लय 54

à

त -1

Scanned by CamScanner

18-Apr-19, 4:12 PV

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान) दिनांक- न् करवरी, 2017

क्रमांक - एफ-4(5)(30) शाजस्व / 2014 / 2014

अधीक्षण अमियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विमाग युत्त, यारा द्वारा प्रस्तुत की गई

अधावाण आमयन्ता, त्तावजानक लमाण (वमान वृत्त, बारा झारा अच्छात का गश सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन मूमि के एवज गुवा क अनुसार ावानन्त वाजनाला क तहत राङ्क ाननान न आन वाला वन छन क प्रयोजनाई में 102.34 हैं0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनाई किये 1 102.34 60 गर वन भूग आरावता किय जान हुए नाम किय जान पर जगा श्रम रहिसीलिदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारों के पत्र कमोक 14073 दिनांक राश्तालदार, जन्ता झारा अरतावत एव उप वन सरवाक. बारा वा पत्र कमाक १०७७ १०११ 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की घारा 20 के मान जन कार्यन्त के कार्यन जनक गठन (देधेक) जनका (कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन कार्यन क 12.09.2014 रा आपा राठमात क आवार पर राजस्थान उत्राजस्य आवानवन, 1900 का वारा 92 के तहत इस कार्यालय के आवेश कमांक एफ-4(5)(30)राजस्य/2014/5614-20 दिनांक अद क राहत वृत्त काबालय क आवरा कनावा एफ-4(३)(३०)राजरव/ 2014/ 5614-20 विनार 16.09.2014 से निम्नलिखित मूनियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई है। 10.09.2014 रा गुन्नालाखत गूनवा वन विमाग के नाम आराक्षत (सट-अपाट) का गइ ह। उप वन संरक्षक, बारां डारा पत्र कमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/14-15 /18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन दिमाग के नाम आवंटन करने को मांग करने पर हम कार्यालय के एव ज्यांक (पार्ट (१०)००) / 10/02 विषय 10:10:2014 स जवा जारावार गुम का वन विषय काल जावटन वतन की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 यो गांग करन पर इस कायालय क पत्र कमाक/एफ-4(5)(30)राजस्य/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु मिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिय, राजस्य (युप-3) दिमाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.0245 के प्राप्त जाजकीय स्वीकनि के आधार पत्र निय्वनित्तिक आपक्रिय व्यक्ति को जव

यार पर निम्नलिखित आरक्षित नूमियों को वन

दिनाक 21.00 शारान सचिव, राजस्व 12.02.15 से प्राप्त रा के नाम आवंट	(युप-3) किति व	5 आधार पर ।			i
शासन सायय. 12.02.15 से प्राप्त रा विभाग के नाम आवंट	न किया जाता है।	1	RT (80) 1 9	मि की किस्म बंजब	
विभाग के स	T		13.20 1	য়ন্ত	4
क.सं. तिहसील	ग्राम बिलेण्डी	39	5.00	1	-
्र अन्ता		41	6.52 5.80	बजरू र मुमकिन बरडा	
1-+		114	3.00	र मुमाकन बरडा इजड	
1-+	1	1	7.70	শ্বান্ত	*
+	1	110	10.81	ৰতাভ	- 1
	1	149	3.63 62.24	रोर मुमकिन बर	डा
1	1	8 किला	19.76	गेर मुमाकन बर	ভা
1 1	सोरसन	4175	19.15		and the second se
2 -		- 2 facet	2.25	गैर मुमकिन ब	101
1 5	1	368	05 04 200		
4 1-	ताखा कुल योग	11 18:31	ररामद किया जावे	11	
3	कुल यान	रिकार्ड म अमल		C.J.	- Oirl
17	angu.			(डॉ. एस.	वा. सिंह)

जिला कलक्टर बारां

दिनांकः करवरी, 2017

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ह।। 1. संयुक्त शासन संदिव, राजस्व (ग्रुप-3) विनाग, जयपुर अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण दिभाग दृत, धारां। अपखरक आवयगरा, अन्दा।
 तहसीलदार, अन्दा को मेजकर लेख है कि आइंदिन नके का जनमर रिकार्ड में जनम 2. उप यन संरक्षक, बारां।

4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।

- Lindian Reve Scotter - is allowers 5. Mare 1983 other for

दरामद कर पालना भिजवावे। जिला स्यना एवं जन सम्पर्क अधिकां (क्षेत्रा)

7. रशित २५रावली।

जिला कलक्टर aixi

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@ralasthan.gov.in.Tel.No.. 07453&230244 हिनांक 29)1/24

क्रमांक० एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 59.00 निमित्त:-

अधिशाषी अभियन्ता

साठ निठ विठ खण्ड शाहबाद ।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भः- भारत सरकार वन एव पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनज का पत्र कमांक 254 दिनांक 23.08.2016 के कम में

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एव पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र कमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को जारी की गई थी ।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या – 2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

न्न. सं.				सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त व अनुसार वेज रेट @259 र चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	164100	485736	2.96	198000	586080	485736	100344

र बिन्द संख्या – 5 के (ग) के कम में NPV की राशि

व्र. सं.	सैद्धान्तिक अनुसार त चाही गई	त्समय प्रचति	ी शर्त के नंत दर से	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि		जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।	
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	626000	1852960	2.96	957780	2835029	1852960	982069

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a) उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 1.8348 है0

c) NPV की राशि – 957780 प्रति हैक्टर

d) शारती की गणना 19.08.2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक

1.8348 x 4 x 957780= 7029339 /-

e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

7029339x(20/100)= 1405868

4- कुल राशि का विवरण

liei ei		चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जी जमा करानी है।
व. स.	44 41 11		the second second	100344
	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	586080	485736	
1	हेतु धन राशि		1852960	982069
	NPV की राशि	2835029	0	1405868
2	दण्डातमक राशि	1405868	2338696	2488281
3	योग	4826977	2558070	

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 100344 + 982069 + 1405868 = 2488281 रू. केम्पा Online e- portal (https://parivesh.nic.in/) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि

प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक 31 उप वन संरक्षक

बारां

- A- the

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/ प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर। 2.संमागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा। 3.अधीक्षण अभियन्ता साoनिoविoबारां।

(दीपक कुमार गुप्ता) उप वन संरक्षक बारां

atorenco No :50612268

a a

Reference				ent Of Rajastha net/outer_sheet			
						Month/Y	ear : Feb/2024
Department Co	de : 65	Department Na	mo : Public Wor	s Department			
Detailed Warn b	bill of : Ex, En, P.W.D. Div, S	HAHBAD (DISLBARAN)(1	8436)			OfficeIC	: 18436
Bill For Works F	Paymont : WAM Paymont		Reference No	: 3902310	Wam Reference	No : #1/1 of 907870	
vision Name	: PWD SHAHBAD		Division Code	: 120	* Bill No :	50612268	
ato	: 19/02/2024		Demand No	: 44	DDOCode :	18436	
AN	: JDH001436B		Object Head	: 21	Budget Head :	3054-03-337-01-01/SF/V	-
F	: 0.00 NonPlan	: 0.00	NA :	0.00	ContigencyHead	:	> An
Please O	sury/Sub Treasury Office rder to pay ₹ 2488281 as	per the claim contained	Sign of Cle	1931	म् जीविंकित	रतपड	भेर्माणिधिमाग प्राहागट
udgeVLC.	at I have personally exam m details mentioned in wa tified that the compliance				red for this bill.	With Seally 33 (AVE JUS)	२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२२
Sr.No.	Namo Address Mobilo	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	-Ar-	Invoice No. Invoice Date(I Case Of Supplier)	Gross'Amt Net Amt	WAMID 2005	साहापाद Budget He ड ने॰- 18#98ion /
	Rajasthan Campa 7 Bengaluru 9414286802	UNION BANK 150856169540 UBIN0996335 FCS BANGAL	106	0+ 1/1/1900 12:00:00 AM	2488281.00 2488281.00	3902310	
ross Amount	Rs. 2488281.00		Amount: Rs.			Net Amount:Rs. 24882	81.00
mount In Wo	rds : TWENTY FOUR LAN	CH EIGHTY EIGHT THO	USAND TWO	HUNDRED EIG	HTY ONE Only	Ta	minter
		.5			Sign Of DD	with Sealle-Simongita	भियन्ता भियन्ता
	For Accountant	General Office	10.1	A ***	Tre	asurv राही से निमा	ण विभाग -
ter bland B			17	No:	2488281.00	হাত্র - চাল	जयाद
bjected ₹				Paye	Contraction of the second second	आई॰ सी॰ कोड न	
				(In Words) : EIGHTY ONE		KH EIGHTY EIGHT THOUS	AND TWO HUNDRED
				B.T. Heads :			
2				Tatal *** 1.	1000 453	8 n. 1	
				Total : (In Cash) ₹ : (In Words) :	2488281.00 TWENTY FOUR LA EIGHTY ONE ONL	KH EIGHTY EIGHT THOUS	SAND TWO HUNDRE
Auditor	Supd	t.	Gaz.Officer	Auditor	· AAO-1/11	Treasury/Sub	Treasury Officer ES
-							
			· · · · ·	100	11 - L	The second	
						(****	

Disclarmer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it. SW Courtsby National informatics centre, Rejasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:3054 SHW Forward 1 mil

. متت .

Form F	۱P	w	A	28	
--------	----	---	---	----	--

Division Code: 18436

Bank IFSC Code: UBIN0996335 -

GOVERNMENT	OF	RAJAST	HAN
------------	----	--------	-----

Public Works Department, Jaipur

PayManager Ref. Id(s): 3902310

No. & Date: IRef No.: 1382, Dated: 19/02/2024

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD

(Dist.BARAN)

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from

Work: Deposit amount for repatration of forest Land of various road in PWD DN Shahabad

Sanction/Autorization/BillNo: 6169540106 Dated: 19/02/2024 Vendor Name: Rajasthan Campa 7

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856169540106

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 24,88,281 (In Words):Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Debit Heads / Payment From:

Amount Remarks S No. Head Code 2488281 Workld: 182145 3054-03-337-01-01-21-V-P 1 Deductions/Recoveries: Amount Remarks 'S No. Head Code

Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

This Bill Will D		Amount Cr Amount D	r: Remarks
	Head Code 3054-03-337-01-01-21-V-P	2488281	1 Workld: 182145
	Payment Through Treasury		

Net Amount Payable In Figures: 24,88,281

Net Amount Payable In Words: Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.

2. The Payment of this bill is not drawn previously.

Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.

Nothing is outstanding against Contractor regarding this work. 5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.

6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.

7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

बा. वि. वि. घण्ड शाहाबार

अधिशायी आमय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड - शाहायाद आई॰ डी॰ कोड नं॰- 18436

Courtesy: https://wam.rajasthan.gov.in (Printed on 2/19/2024 5:39:03 PM)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद क्रमांक : ११५० दिनांक : १९०२/२०२५

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के बिल प्राप्त संख्या 6169540106 दिनांक 19.02.2024 राशि रू. 2488281.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Recoatration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विमाग Clearance

a the star star and a second

के तहत् भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। (जलवारा के जिन्दानपुरा)

ऋचिशाषी अमियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद -दिनांक : 19 (02) २०२५

क्रमांक : ॥५० प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित हैं:-1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद । 2. रक्षित पत्रावली ।

hti

min अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

AGE	NCY CO	PY	· · · · · ·	ANK COPY
यूनियन चैंक 🕼 Union Bank			O Union Bank	
	TP-store	Of India	after film	of India
Andhro	1993 B	nruf e lo ren Grperation	Siliett Andhra	Corporation
NEFT / RTGS CH te : 19-02-2024	ALLAN	for CAMPA Funds	NEFT / RTGS C Dato : 19-02-2024	HALLAN for CAMPA Funds
gency Name.	PUB	ARTMENT	Agoncy Namo.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
application No.	616	9540106	Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	88	RJ/06/04/2015/FC	MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.		JASTHAN	Location.	RAJASTHAN
Address.	Of	fice of the Executive Ingineer PWD Division hahabad, Bus stand Pin-	Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217 Baran
Amount(in Rs)		25217Baran 488281/-	Amount(in Rs)	2488281/-
	Twenty-Fo	ur Lakh Eighty-Eight Thousand	Amount In Words :Tw Two Hundred and Eigh	venty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand hty-One Rupees Only
NEFT/RTGS	ighty-One	nade as per following	NEFT/RTGS to details;	be made as per following
Two Hundred and Ei	ighty-One	nade as per following	details;	be made as per following
NEFT/RTGS	_{ghty-One}	Rupees Only nade as per following RAJASTHAN CAMPA		CANDA
NEFT/RTGS (details;	to be m	Rupees Only nade as per following RAJASTHAN CAMPA UBIN0996335 150856169540106 Valid only for this	details; Beneficiary Name	RAJASTHAN CAMPA
Two Hundred and El NEFT/RTGS details; Beneficiary Nar IFSC Code:	to be m me: t No.	Rupees Only nade as per following RAJASTHAN CAMPA UBIN0996335	details; Beneficiary Name IFSC Code:	: RAJASTHAN CAMPA UBIN0996335 o. 150856169540106 Valid only for this


even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transa-id to Email: fcsblr@unionbankofindla.bank , epurse@unionbankofindla.bank,

ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Ry 2488281/2 only [Ry Twenty Four Laken Eighty Eight Thousand Two Hundred Eighty One only] जाधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग Hitps://forestsclearance.nic.in/useraccount/Nett_ChallanCorp.aspertsclearance.nic.in/ https:// आई॰ छी॰ कोड नं॰- 18436





निमित्त:-

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/5847 दिनांक २

दिनांक 24-5-2024

्रसंभागीय मुख्य वन संरक्षक,

कोटा ।

विषय :- जलवाडा से किशनपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव। Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भः- अधिशाधी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाद के पत्र कमांक 54 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के पत्र कमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र कमांक 54 दिनांक 18.04.2024 को स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :--

क्र स		
शर्त संख्या १	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 296 है0 गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.96 हैं0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए रूपये 3.82,284/- (2.96 है0 Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4

,ख्या 3 शत संख्या 4	है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानविन्न नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिंविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्य 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुक वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राधि रूपये- (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रू. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/- कुल राशि रू. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊूंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस0 निर्देषांक,Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सडक का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सडक निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27 / 2015 बाबूलाल, जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेष की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकभीने में नही लिया गया है।

ें उपा 8	प्रयोक्ता अभिकरण एव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का पालन करेंगी।	राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी संद्वान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) मे प्रकार्षित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	सलग्न कर दी गई है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक बारां दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः– 1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, थ्र। नोडल अधिकारी राज0 जयपुर। 2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाद।

(अनिल[|] यादव) उप वन संरक्षक बारां

Scanned with CamScanner